भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2718

11 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के पीएसयू के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निदेश

2718. डा. विकास महात्मे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए स्वैच्छिक दिशा-निदेशों/फ्रेमवर्क (सुरक्षा दिशा निदेश 1 - सुरक्षा दिशा निदेश 25) को अपनाने वाले इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी इस्पात संयंत्रों में स्वैच्छिक दिशा-निदेशों/फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कौन-सी भावी क्रियाविधि अपनाई गई है; और

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पास गत पाँच वर्षों में संयंत्र में हुई दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): इस्पात क्षेत्र के दो पीएसयू अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के संयंत्रों/इकाइयों में कार्यान्वयन के लिए सभी 25 सुरक्षा दिशा-निर्देशों को अपनाया गया है।

(ग): विगत पाँच वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र के पीएसयू में हुई दुर्घटनाओं का ब्योरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**सेल**			**आरआईएनएल**		
	सूचित करने योग्य दुर्घटनाएं	**घातक दुर्घटनाएं**	**कुल**	**सूचित करने योग्य दुर्घटनाएं**	**घातक दुर्घटनाएं**	**कुल**
2016	31	11	42	10	5	15
2017	34	16	50	7	0	7
2018	36	22	58	8	0	8
2019	37	11	48	7	3	10
2020	12	8	20	7	3	10
2021 (जुलाई तक)	10	12	22	2	3	5

****